

24/3/76

अभियपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में फई बा  
आघाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं  
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं  
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फौसला शुमार न. से कम की जाकर  
दाखिल दफ्तर हो।

→